

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय:- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्राम हनुवतिया के भू-अर्जन प्रकरण में जारी धारा-19 अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन विषयक।

-- 0 --

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्र.कं. 7/अ-82/2016-17, ग्राम हनुवतिया में लोक निर्माण विभाग हनुवतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन हेतु, भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के तहत कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रेषित की गई थी।

अतः कृपया अधिसूचना का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- 02 प्रतियां



पृष्ठांकन कमांक/भू-अर्जन/2017/एल.ए./119/४४७
प्रतिलिपि :-

- 1- संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियां संलग्न कर
- 2- इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित कर लेख है कि समाचार पत्रों की दो प्रतियां अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा जिला खंडवा एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा की ओर दो प्रति में सूचनार्थ एवं उनके सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
- 4- नायब तहसीलदार, मूंदी, की ओर 06 प्रतियां संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना फलक, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित।
- 5- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा की ओर सूचनार्थ।
- 6- जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

(अभिषेक सिंह)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,
जिला खंडवा (म.प्र.)
खंडवा, दिनांक 24/09/2017

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,
जिला खंडवा (म.प्र.)

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक / /2017/एलए/
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/16-17

नस्ती क्रमांक 119/2016 एलए
खण्डवा, दिनांक 24/09/2017

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिधायम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| (क) जिला | : | खंडवा |
| (ख) तहसील | : | पुनासा |
| (ग) ग्राम | : | हनुमंतिया |
| (घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल | : | 0.76 हैक्टेयर |

अ.क्र.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुशीलाबाई देवा श्यामू, ममता, बनू पुत्री श्यामू	123	1.90	0.06	0.00	0.06	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि. मी. के निर्माण हेतु
2	हीरालाल पिता मंशाराम	118/1	0.76	0.04	0.00	0.04	
3	गेंदालाल पिता मंशाराम	118/5	0.70	0.02	0.00	0.02	
4	गुलाबदास पिता दयाराम	118/4	0.10	0.02	0.00	0.02	
5	जगन्नाथ पिता सोमा	118/2	0.10	0.02	0.00	0.02	
6	साहेबलाल पिता राजाराम	118/3	0.10	0.02	0.00	0.02	
7	केलाश पिता मंशाराम	118/6	0.80	0.03	0.00	0.03	
8	पन्नालाल पिता तुलाराम	116/1	2.14	0.03	0.00	0.10	
		115/2	1.17	0.06	0.00		
		115/3	0.07	0.01	0.00		
9	अम्बराराम पिता पन्नालाल	116/3	2.00	0.01	0.00	0.01	
10	शांतिलाल पिता पन्नालाल	116/2	2.00	0.03	0.03	0.00	

11	राजकुमारी पति दरियावचंद प्रेमलता पति कमलचंद, किर्ती पति प्रदीप जेन	115/4	0.24	0.01	0.00	0.01
12	नरेन्द्र पिता नरसिंह दास चांडक	115/1	1.48	0.05	0.05	0.00
13	सोहनलाल, पन्नालाल पिता तुलाराम	114/1	0.10	0.01	0.00	0.01
14	राजय वर्मा पिता जगतनारायण	114/5	0.318	0.02	0.00	0.02
15	फरीबा बी पति रउफखान, शेख नसीर पिता शेख रशीद, मो. जुनेदुर रहमान पिता मो. रईसुरहमान, तबरसुम फामिता खान पति सोहेल खान फुवाद शेख पिता मोहम्मद अनीस, अहमद शेख अरशद खान पिता रफीक खान मोहम्मद उबुदुरहमान पिता मो. रईसुरहमान	114/2	0.41	0.01	0.00	0.01
16	अनामिका पति अमित माहेश्वरी	114/4	0.40	0.02	0.00	0.02
17	अश्वमेघसिंह पिता प्रहलादसिंह	113	2.70	0.06	0.06	0.00
		112/2	0.40	0.03	0.03	0.00
18	कोमलसिंह पिता बलरामसिंह	112/4	0.40	0.01	0.01	0.00
		112/3	0.60	0.01	0.01	0.00
19	अमनकुमार पिता शैलेन्द्र कुमार	112/5	0.10	0.01	0.01	0.00
20	विरेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह	111/7	1.20	0.06	0.06	0.00
21	सुरेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह	111/3	1.37	0.04	0.04	0.00
22	पंकजसिंह पिता हरिराजसिंह	110/1	2.611	0.07	0.07	0.00
कुल- कृषक 22		कुल रकबा -0.78हे. सिंचित-0.37 असिंचित- 0.39				

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अभिषेक सिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म0प्र0)